Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2016 = 6.17, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.45269, SEPT-OCT 2017, VOL- 4/36
10.21922/srjis.v4i36.10023

कैदी महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन

उषा वामनराव चिकाटे[1] & गोपाल कृष्ण ठाकुर[2]

[1]एम. फिल.- शिक्षाशास्त्र, म. गां. अं.हिं. वि. वि., वर्धा-442001(महाराष्ट्र)

2सह आचार्य – शिक्षा विभाग, म. गां. अं.हिं. वि. वि., वर्धा-442001(महाराष्ट्र)

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय संदर्भ में कैदी महिलाओं की स्थिति, विभिन्न प्रकार के अपराधों में उनकी संलिप्तता की स्थिति एवं संभावित कारणों का विश्लेषण करने की चेष्टा करता है. यह शोध पत्र बच्चों की शिक्षा एवं उनके व्यक्तित्व के विकास में उनकी माता की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन बच्चों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करता है जिनकी माताएँ विभिन्न अपराध में कैद में हैं. भारत में महिलाओं की साक्षरता की स्थिति का कालक्रमानुसार उल्लेख करते हुए इस आलेख में शिक्षा एवं जीवन-यापन की विभिन्न विधाओं में महिलाकर्मियों के निराशाजनक प्रतिनिधित्व का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर संकल्पनात्मक रूप से यह स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि भारतीय समाज अपने विकास एवं उत्तर-आधुनिकता के अकादमिक व सैद्धांतिक प्रभाव के बावजूद अभी भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं पाया है. प्रस्तुत आलेख अशिक्षा एवं शोषण के परिणामस्वरूप उत्पन्न महिलाओं की कुंठा का आक्रामकता में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को महिला अपराध के प्रमुख कारण के रूप में देखते हुए उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है. विभिन्न शोध अध्ययनों एवं बाल संरक्षण एवं विकास हेतु संचालित विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए इस शोध पत्र के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिये पर पड़े हुए उन बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए, जिनकी माताएं विभिन्न कारणों से कैद में हैं, उनकी शिक्षा के संबंध में तथ्यपरक जानकारी एकत्रित की जाए. उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यावहारिक आकलन करते हुए यथोचित नीतियाँ बनायी जाए जिससे कि उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके एवं उन बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए उन्हें नयी दिशा दी जाए. जब हम कहते है कि सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उन्हें देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करे.

प्रमुख प्रत्यय/शब्दावली: *कैदी महिलाएं, कैदी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा, कैदी महिलाएँ व उनके बच्चों का सामंजस्य, महिला अपराधी एवं उनकी शैक्षिक आकांक्षाएं, कैदी महिलाओं की शैक्षिक जागरूकता*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

यह एक स्थापित तथ्य है कि भारतीय समाज मुख्यतः एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर महिलाएँ प्रायः अधीनस्थ की भूमिका में रहती हैं. उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन, परिवार एवं समाज से संबंधित सभी मुद्दों पर पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णय से अपनी सहमति व्यक्त करें एवं उन निर्णयों को बिना किसी तर्क, सोच अथवा चिंतन के स्वीकार करें. एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में महिला की स्थिति अभी भी देश के व्यापक भू-भाग में प्रतीकात्मक मात्र ही है. यद्यपि वर्तमान समय में ख़ास कर शहरी जन समुदाय में, विशेषतः महानगरों में, महिलाओं की स्वतंत्र अस्मिता विभिन्न माध्यमों से परिलक्षित होती हैं और जीवन के विभिन्न

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कार्यक्षेत्रों में महिलाओं ने अपने उत्कृष्ट कार्यशैली से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है; तथापि यह संख्या देश की जनसँख्या के अनुपात में अत्यंत कम है. व्यापक जन समुदाय में अभी भी महिलाओं के विकास की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम है. यह ठीक है कि एक तरफ देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की साक्षरता में सुधार आया है; परन्तु दूसरा तथ्य भी उतना ही विचारणीय है कि अभी भी पुरुषों की तुलना में महिला साक्षरता की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है. तालिका 1 में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर का तुलनात्मक विवरण दिया गया है:

तालिका-1: भारत में कालक्रमानुसार साक्षरता का विकास

क्र.	**वर्ष**	**पुरुष साक्षरता प्रतिशत**	**महिला साक्षरता प्रतिशत**	**अंतर**
1	1901	9.8	0.6	9.2
2	1911	10.6	1.0	9.6
3	1921	12.2	1.8	10.4
4	1931	15.6	2.9	12.7
5	1941	24.9	7.3	17.6
6	1951	21.16	8.86	12.3
7	1961	40.40	15.35	25.05
8	1971	45.96	21.97	23.98
9	1981	56.38	29.76	26.62
10	1991	64.13	39.29	24.84
11	2001	75.26	53.67	21.59
12	2011	82.14	65.46	16.68

स्रोत: जनगणना 2011 एवं सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स

अभी भारत में महिलाओं की अनुमानित संख्या लगभग 65.2 करोड़ है (indianonlinepages.com, 2017). उपर्युक्त **तालिका-1** के अनुसार देश में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 65.46 है. अर्थात अभी भी देश में लगभग 22.53 करोड़ महिलाएं अशिक्षित हैं. पुरुष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता अभी भी 16.68 प्रतिशत कम है. शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण समेत सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों के बावजूद महिला साक्षरता की इस स्थिति के पीछे एक प्रमुख कारण है बालिका शिक्षा अथवा महिला शिक्षा के प्रति उदासीनता अथवा दोयम दर्जे का भाव जिसकी शुरुआत घर से होकर समाज के व्यापक दायरे में विस्तारित होती है. महिला प्रतिनिधित्व का यही हाल प्रायः जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है. राष्ट्रीय सैंपल सर्वे आर्गेनाईजेशन के 2010 के आंकड़े के अनुसार भारत में कार्यक्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

तालिका-2: भारत में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाकर्मियों का प्रतिशत

कार्य क्षेत्र	**महिला कर्मियों का प्रतिशत**
कृषि	**68.5%**
तम्बाकू उत्पादन	**2.6%**
वस्त्र उद्योग	**2.3%**

परिधान/श्रृंगार आदि	**5.9%**
निर्माण कार्य	**5.1%**
विद्यालय	**3.8%**
किराना स्टोर	**2.1%**
घरेलू सहायता कर्मी	**1.6%**
व्यक्तिगत सेवाएँ (सौंदर्य उपचार, कपडा धोना, मालिश, शादी-विवाह कराना, आया, झाड़ू-पोछा, बर्तन धोना, आदि)	**1.5%**
स्वास्थ्य सेवाएँ	**1.1%**
नौकरशाही	**1%**

स्रोत: NSSO, 2010

तालिका 2 में दिए गए उपर्युक्त आंकड़े इस बात को पुष्ट करते हैं कि भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व, उनकी भागीदारी की स्थिति क्या है. शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों जैसे मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में तो महिलाओं की भागीदारी अधिक है जहां उन्हें पूर्वनिर्धारित निर्देशों के अनुसार काम करना होता है, परन्तु उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं को अपने बुद्धि-विवेक के अनुसार निर्णय लेना पड़े, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत निराशाजनक है. उपरोक्त आंकड़े के अनुसार नौकरशाही, जहाँ संबंधित अधिकारियों से युक्तिसंगत एवं न्यायसम्मत निर्णय लेने की अपेक्षा रहती है, पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु यथोचित व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त होता है, उस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 1 प्रतिशत है. यह स्थिति परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे समाज में लड़कियों एवं महिलाओं को किन भूमिकाओं को निभाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है या किन भूनिकाओं के निर्वहन हेतु अनुकूल अवसर प्रदान किये जाते हैं.

समाज में महिलाओं की स्थिति, उनका शोषण एवं परिणाम

उपर्युक्त तालिका 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का एक प्रमुख निहितार्थ यह है कि महिलाओं की भूमिका जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अधीनस्थ की ही है जो कि एक कठोर यथार्थ है. विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की अल्प संख्या के चलते पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार एवं शोषण के बारे में आए दिन सुनने को मिलता है. साथ ही एक और भी समानांतर यथार्थ इन सबके साथ ही अपना स्थान बना रहा है – वह यह कि महिलाओं का होने वाला शोषण और आधुनिक शिक्षा से हो रहे वैचारिक जागरण से महिलाओं में पारंपरिक व्यवस्था का विरोध करने की क्षमता भी विकसित हो रही है. यह प्रतिरोध यदि सकारात्मक दिशा में होता है तो सार्थक परिणाम निकलते हैं, लेकिन महिला शोषण का प्रतिरोध एवं उससे उत्पन्न अन्य प्रकार की नकारात्मकता

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

समाज में एक भीषण स्थिति को जन्म दे रही है और महिलाएँ आक्रामक होकर अपराध की तरफ भी उन्मुख हो रहीं हैं. यह एक भयावह स्थिति है. जिस नारी से समाज ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह एवं वात्सल्य जैसी भावनाओं की आशा करता है, वह यदि इन मानवीय मूल्यों के विपरीत मूल्यों को अपनाती है तो यह एक चिंतनीय स्थिति का द्योतक है. कालान्तर में देश में महिला अपराधियों की संख्या में हुई वृद्धि इस गंभीर चिंतनीय स्थिति की ओर इशारा करती है. तालिका 3 में देश में भारतीय अपराध संहिता के अंतर्गत वर्ष 2001 एवं 2011 में गिरफ्तार अपराधियों का विवरण है जिसमें महिला अपराधियों के बढ़ते प्रतिशत को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

तालिका-3: भारत में IPC अपराध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या – 2001 - 2011 (अपराध स्वरूप एवं लिंग के अनुसार)

	वर्ष	2001					2011				
क्र.	**अपराध का स्वरूप**	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**कुल प्रतिशत**		**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**कुल प्रतिशत**	
					पु.	म.				पु.	म.
1	हत्या	71888	3434	75322	95.4	4.6	66150	4443	70593	93.7	6.3
2	हत्या करने का प्रयास	75844	1995	77839	97.4	2.6	72895	3179	76074	95.8	4.2
3	आपराधिक हत्या	6472	123	6595	98.1	1.9	6928	160	7088	97.7	2.3
4	बलात्कार	19951	495	20446	97.6	2.4	288112	766	28878	97.3	2.7
5	अपहरण एवं फुसलाकर भगाना	29379	1506	30865	95.1	4.9	54956	2527	57483	95.6	4.4
6	डकैती	24396	170	24503	99.6	0.4	16758	250	17008	99.5	1.5
7	डकैती की तैयारी एवं जमघट	7402	28	7430	99.6	0.4	11360	19	11379	99.8	0.2
8	लूट-पाट	29395	128	29523	99.6	0.4	35252	294	35546	99.2	0.8
9	चोरी-उठाईगीरी	65857	1039	66896	98.4	1.6	66819	1549	68368	97.7	2.3
10	चोरी	137964	4250	162214	97.4	2.6	197401	6805	204207	96.7	3.3
11	दंगे	377540	2082	398366	94.8	5.2	334525	1946	353985	94.5	5.5

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

			6					1			
12	आपराधिक विश्वासघात	15229	422	15651	97.3	2.7	23284	760	24044	96.8	3.2
13	धोखाधड़ी	41303	1484	42787	96.5	3.5	88147	4717	92864	94.9	5.1
14	जालसाजी	1939	41	1980	97.9	2.1	2063	67	2130	96.9	3.1
15	आगजनी	13465	269	13734	98.0	2.0	12077	303	12380	97.6	2.4
16	चोट	458080	30506	488586	93.8	6.2	479835	36063	515898	93.0	7.0
17	दहेज हत्या	15908	4473	20381	78.1	21.9	19814	4764	24578	80.6	19.4
17	छेड –छाड़	41733	511	42244	98.8	1.2	52069	1698	53767	98.8	3.2
18	यौनउत्पीड़न	12299	140	12439	98.9	1.1	9687	193	9880	98.0	2.0
19	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	83546	25921	109467	76.3	23.7	135403	41298	180701	77.1	22.9
20	विदेश से लड़कियों का आयात	206	14	220	93.6	6.4	203	18	221	91.9	8.1
22	लापरवाही से मृत्यु	52280	426	52706	99.2	0.8	90046	267	90313	99.7	0.3
23	अन्य IPC अपराध	924856	46470	971326	95.2	4.8	1144506	63953	1208459	94.7	5.3
24	IPC के तहत कुल संज्ञेय	2526932	144608	2671540	94.6	5.4	2952290	193555	3145845	93.8	6.2

उपर्युक्त तालिका के अनुसार हत्या, आपराधिक हत्या एवं हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार महिलाओं की संख्या जहां वर्ष 2001 में 5552 थी, वहीं यह संख्या वर्ष 2011 में 7782 हो गयी थी. अर्थात हत्या, आपराधिक

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हत्या एवं हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार महिला अपराधियों की संख्या में 2001 से 2011 आते आते 40.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसी प्रकार डकैती, डकैती की तैयारी एवं जमघट , लूटपाट, चोरी, उठाईगिरी आदि के आरोपों में गिरफ्तार महिलाओं की संख्या जहां वर्ष 2001 में 5615 थी, वहीं यह संख्या वर्ष 2011 में 8917 हो गयी थी. अर्थात डकैती, डकैती की तैयारी एवं जमघट , लूटपाट, चोरी, उठाईगिरी आदि के आरोपों में गिरफ्तार महिलाओं की संख्या में 2001 से 2011 आते आते 58.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. यह स्थिति गंभीर चिंता उत्पन्न करती है. यद्यपि उपर्युक्त तालिका से मात्र यह स्पष्ट होता है कि उल्लिखित वर्षों में किन आरोपों में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था एवं पुरुषों की तुलना में आरोपी महिलाओं का अनुपात क्या है. यह विवरण दोष सिद्धता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है. साथ ही इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि किन कारणों से महोलाएं उपर्युक्त अपराध की घटना में आरोपी बनाई गयीं या उन्होंने उक्त अपराध किया. प्रामाणिक रूप से विभिन्न परिस्थितियों एवं महिला अपराधियों की सहभागिता के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु गहन शोध की आवश्यकता है. परन्तु एक आम समझ इस बात की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि किन संभावित परिस्थितियों में महिलाएं अपराध की ओर उन्मुख हो सकतीं हैं.

कैदी महिलाएं एवं उनके बच्चों की शिक्षा

सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक रूप से समाज में यह मान्यता रही है कि माता अपने बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है. बच्चे के जन्म से लेकर जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों का सर्वाधिक समय अपनी माता के सान्निध्य में व्यतीत होता है. यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था होती है. इसमें बालक की आदतों, उसके मूल्यों एवं आदर्शों का विकास होता है. उसके आतंरिक संसार का निर्माण होता है. उसकी प्रवृत्तियों, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि का विकास होता है. माता का संरक्षण उसे किशोरावस्था के दिनों के निरंतर बदलाव के दिनों में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तन एवं विकास की अवधि में मजबूत संबल प्रदान करता है. यह परिस्थिति एक सामान्य परिवार में पल-बढ़ रहे बच्चे की होती है. परन्तु उन बच्चों के लिए, जिनकी माता किसी अपराध के आरोप में जेल में बंद होती हैं, जीवन कठिन हो जाता है. उपरोक्त वर्णित स्थिति और माता का संरक्षण तो दूर की बात है, उन बच्चों को दैनिक जीवन यापन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है. ऐसे में उनकी शिक्षा की बात सोच पाना यथार्थ से परे की स्थिति होती है. बालकों के व्यक्तित्व को समाज के लिए उपयोगी बनाने वाली माँ ही होती हैं. परंतु अगर वही माँ अपराधी के रूप में कैद होगी तो वह अपने बालक के विकास में अपना सम्पूर्ण योगदान देने में असमर्थ होगी. ऐसे बालकों का जीवन यापन एवं उनकी शिक्षा सहित अन्य पक्षों के समुचित विकास का उत्तरदायित्व किसी का भी नहीं रह जाता है. यद्यपि कुछ स्वयंसेवी सस्थाएं समाज में सक्रिय हैं जो ऐसे कुछ बच्चों को चिह्नित कर उनके लिए यथासंभव कुछ सहायता करने का प्रयत्न करती हैं, परन्तु यह संभवतः पर्याप्त नहीं है. ऐसे में उन बेसहारा बच्चों की शिक्षा एवं जीवन यापन के लिए सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है. प्रशासन एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं यदि अपनी ज़िम्मेदारी अगर ठीक से निभा भी दे और उन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ भी दिया जाए तो भी जिन संस्थाओं में बालक की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है वहाँ उसके शिक्षक एवं सहपाठ, उसकी पृष्ठभूमि जानकर

उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे – यह चिंता का विषय है. प्रायः बच्चों के लिए उनकी माँ का अपराधी होना एवं गिरफ्तार होकर कैद में बंद होना एक त्रासदिक अनुभव होता है और यह उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता हैं. इसलिए इस स्थिति को बदलने व बेहतर बनाने के लिए इन बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है.

कैदी महिलाएं एवं उनके बच्चों की स्थिति – एक विहंगावलोकन

आज लगभग सारे विश्व में महिला अपराध की दर में वृद्धि हो रही है। यह प्रवृत्ति महिला ओं के अपेक्षित स्वभाव से मेल नहीं खाती. महिलाएं सृष्टि निर्माण के आरम्भ से करुणा, क्षमा, सहनशीलता, त्याग आदि गुणों से युक्त रही हैं. इन गुणों के कारण ही पारिवारिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का संवर्धन, संरक्षण और हस्तांतरण होता आया है और मानव समाज में सभ्यता तथा संस्कृति का विकास हुआ है. उसकी बुनियाद गहरी हुई है. परन्तु कालान्तर में विभिन्न प्रकार की पारिवारिक एवं सामाजिक विसंगतियों से युक्त परिस्थिति एवं परिवेश में महिलाओं द्वारा किये जाने वाले आपराधिक कृत्य में भी वृद्धि हुई है. भारत में बढते हुए महिला अपराध का स्तर एवं संख्या गंभीर चिंता का विषय है . उपर्युक्त खंड में दी गयी तालिका 3 के अतिरिक्त वर्ष 2015 मे भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 3,14,575 महिलाओं को विभिन्न अपरा धों में गिरफ्तार किया गया था . स्थानीय एवम विशेष कानून के तहत पूरे देश में 12,819 महिलाए हिरासत में ली गई . पिछले 5 वर्षों में ये आंकडे कई गुना बढे हैं. भारतीय संस्कृति में परिवार की नींव जिस महिला के संस्कारो पर निर्भर है , उसी महिला के कदम अगर अपराध की ओर बढने लगे तो हमारे भविष्य पर सवालिया निशान लग जाते हैं. अब यह मात्र आलोचना का नही बल्कि चिंता का विषय है. देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र सर्वाधिक महिला अपरा धियों वाले राज्यों में से एक है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2010 से 2012 तक के आंकड़ो पर गौर करें तो इस राज्य की सर्वाधिक 90,884 महिला ओं को विभिन्न अपरा धों के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था. देश में 2010 से 2012 तक 93 लाख अपराधि यों की गिरफ्तारी हुई थी जिन में महिलाये 6 फीसदी थीं. यद्यपि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारतीयों जेलों में 4827 महिला कैदियों के रखने की व्यवस्था है,परंतु इस समय इनकी संख्या 18,188 हैं जिनमे 5345 महिलाओं की सजा तय कर दी गई हैं . 12,688 महिलाए अंडरट्रायल या विचाराधीन हैं तो व हीं 98 महिलाओं को डिटेन यानि स्था नीय कानूनों के तहत हिरासत में रखा गया हैं . आंकड़ों के अनुसार 1603 महिलाए अपने बच्चों के साथ जेलों में हैं. इन बच्चों की संख्या 1933 है.

महिला अपराधी एवं प्रमुख कारण

आपराधिक मामलों में महिलाओं की संलिप्तता का एक बड़ा कारण अशिक्षा भी है . जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 'सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमन स्टडीज ' की कानून विशेषज्ञ तरन्नूम सिद्दीकी के अनुसार – 'महिलाओं में शिक्षा की कमी उनके जेल जाने कि सबसे बड़ी वजह है '. समाज में अभी भी बहुत बड़ा तबका लड़कियों को पराया धन समझने के कारण उन्हे पढाने की जरूरत नहीं समझता. अशिक्षा के कारण पैदा हुई अंधश्रद्धा, भोलापन, सूचनाओं की कमी , अपने अधिकार के प्रति सकारात्मक जागरूकता का अभाव, सही मार्गदर्शन तथा सहायता का ना मिलना एवं अपने शोषण के विरुद्ध असहायताभाव से आक्रामकता की तरफ

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उन्मुख होना महिलाओं को अपराध की ओर धकेलता है. एक तरफ अशिक्षा को अपराध की वजह के रूप मे हम देखते हैं तो दूसरी तरफ शिक्षित , हाई- प्रोफ़ाइल महि लाएँ भी आपराधिक मामलो मे कम नहीं हैं . अनपढ़ और गरीब घर की लड़कियाँ तो अपराध की दुनिया मे विवशता एवं विकल्पहीनता की स्थिति में आती हैं, परंतु कई अमीर घरो की लड़कियाँ भी भौतिकता एवं बाजारवाद के दबाव, बिखड़े व टूटे हुए परिवार, परिवार की आर्थिक स्थिति, घर मे अनैतिक वातावरण की व्याप्ति, माँ-बाप के अपने-अपने क्षेत्र मे व्यस्त रह ने के कारण, सौतेली होने के कारण दुर्व्यवहार का शिकार होने एवं सही परामर्श के अभाव जैसे कारणों से अपराध में संलिप्त हो जाती हैं.

दास, एस (2013), ने अपने अध्ययन **वुमन प्रिज़नर इन ओड़ीसा : ए सोशियों कल्चर स्टडी में** निष्कर्ष के रूप में पाया कि यहां पर ज्यादातर महिलाएँ इसलिए कैद है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है साथ ही साथ इन लोगों के घरवाले इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं . यहाँ की महिलाएँ ज्यादातर अनपढ़ होने की वजह से उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है इसलिए भी यह य हां पर कैद हैं . **स्वर्गाइरी (2012)**, **ने अपने अध्ययन द फ़ीमेल ऑफ़ेंडर्स अँड देयर इंटरपर्सनल रिलेशन्स इन द फॅमिली में** निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया कि महिलाओं का अपराध की ओर बढ़ने का कारण उनका वैवाहिक जीवन मे समायोजन न होना , परिवार का वातावरण दोषपूर्ण होना , पति–पत्नी में अलगाव , महिलाओं का हठी स्वभाव का होना हैं | हमारे देश मे लड़कियों को घर में दबाकर रखा जाता है साथ ही उनका लैंगिक शोषण भी एक अपराधी बनने का कारण रूप में पाया गया.

कैदी महिला अपराधी एवं उनके बच्चों की शैक्षिक स्थिति

भारत के जेलों में अपराधसिद्ध और विचारधीन महिलाए जेलों में अकेली नहीं हैं . उनके साथ उनके बच्चे भी इस यातना के बीच पल-बढ़ रहे होते हैं. माताओं के साथ इन बच्चों के रहने, खाने - पीने, शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम जेल प्रशासन को ही करना पड़ता है . लेकिन कैदियों की तरह इन बालकों पर कोई पाबंदी नहीं होती है . कभी यह बच्चे जेल अ धीक्षक के कमरे में या फिर जेल के ही अंदर मगर खु ली जगह या बरा मादे में खेलते रहते हैं. यह व्यवस्था जेल प्रशासन के अधिकारी की मानसिकता पर निर्भर करती है. माँ के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनकी संख्या ज्यादा होती है तो जेल में प्रशासन की ओर से क्रेच, पालनाघर आदि की व्यवस्था की जाती है. अगर जेल अधिकारी की सोच एवं उनका दृष्टिकोण ठीक होता है तो वे इन बच्चों के लिए पो षक आहार की व्यवस्था करते हैं. साथ ही उनके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए भी कुछ प्रबंध किया जाता है. अगर जेल प्रशासन के पास इस व्यवस्था के लिये पैसे की व्यवस्था नहीं होती है तो जेल अधिकारी प्रयास करके किसी स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करके उनसे इन बच्चों के लिए खेल के साधन, शिक्षण सामग्री और साथ ही उनका समय या सहायता भी लेने का प्रयत्न करते हैं. जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ऊपर हो जाती है उन बच्चों को प्रशासन की ओर से सरकारी पाठशाला में दाखिला कराके उनको सरकारी छात्रावासों में रखने की व्यवस्था की जाती हैं. परंतु बढ़ती उम्र के साथ बच्चों, जिनकी उम्र 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, के समझ में आने लगता है कि उनकी माँ को जेल मे क्यों रखा गया है . तब उनकी मानसिक स्थिति पर ब हुत बुरा असर होने लगता है और फिर उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और इस स्थिति का असर उन की शिक्षा पर भी पड़ता है. ऐसे में अगर उन्हे सही तरह से मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो ऐसे उनके रास्ता भटकने की संभावना ज्यादा होती है . **किंगी**

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(2000), ने अपने अध्ययन द चिल्ड्रेन ऑफ़ वुमेन इन प्रिज़न : ए न्यूज़ीलैंड स्टडी में निष्कर्ष के रूप में पाया कि जिन बच्चों की माँ को सजा हो जाती हैं उन बच्चों को उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने का स्थान नहीं मिलता है तो वह बच्चे आगे जाकर अपराध के रास्ते पर निकाल जाते हैं . इसलिए ऐसे समय में इन बच्चों को सकारात्मक मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है. और यह काम सिर्फ शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है इसलिए इन बच्चों के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाना बहुत आवश्यक है.

कैदी महिलाएँ व उनके बच्चों का सामंजस्य

क़ैदी महिलाओं के बच्चों को विद्यालय के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सामान्यतः बहुत कठिनाई होती है. क्योंकि विद्यालय का वातावरण उनके लिए बहुत अलग होता है . प्रायः विद्यालय के परिवेश में शिक्षकों और सहपाठियों का उन बच्चों की तरफ देखने का नजरिया अलग होता है . इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उन बच्चों की पृष्ठभूमि, उनकी माता का आपराधिक इतिहास उन बच्चों के प्रति दूसरों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर दे. इस तरह के पूर्वाग्रह से युक्त वातावरण में इन बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना तथा एक स्वस्थ एवं पक्षपात रहित वातावरण का निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती है. आम तौर पर क़ैदी महिलाओं के बच्चों के लिए अपने सहपाठियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है. क्योंकि ये बच्चे जिस पारिवारिक-सामाजिक-शैक्षिक वातावरण से आते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में वह वातावरण भिन्न होता है. इन बच्चों के साथ सामान्य बच्चे के दोस्ती करने की संभावना कम हो सकती है. कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि सामान्य परिवार के बच्चे ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, और अगर दोस्ती हो भी जाती है तो इन सामान्य बच्चों के घरवाले इन बच्चों के साथ रहने के लिए मना करते हैं क्योंकि इन अभिभावकों को लगता है इन बच्चों के साथ रहने से उनके बच्चे बि गड़ जायेंगे. इस स्थिति में यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि कैदी महिलाओं के बच्चे ऐसी परिस्थिति में अपना सांवेगिक संतुलन बना पाने में किस हद तक सफल हो पाते हैं एवं उनकी शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

कैदी महिलाएं एवं बच्चों के लिए उनकी शैक्षिक जागरूकता

सामान्यतः कोई भी माता यह नहीं चाहती कि उसके बच्चे जीवन में गलत दिशा की ओर जाएं. यह बात उन महिलाओं पर भी लागू होती है जो कैद में हैं. क़ैदी महिलाएँ भी आम तौर पर अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक दिखाई देती हैं. वे चाहती हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ लिखकर देश के अच्छे नागरिक बने . परन्तु इस बात का अध्ययन करना उचित होगा कि कैदी महिलाओं में उन महिलाओं का प्रतिशत कितना है जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक हैं एवं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वे किस प्रकार का प्रयत्न करती हैं? सामान्यतः उक्त महिलाओं की जानकारी या तो सीमित होती है या उन्हें अपने इर्द गिर्द की उलझनों के बीच इतना समय नहीं मिल पाता कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ ठोस निर्णय ले सकें. प्रायः वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती है परंतु उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वे अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिलाएँ और उन बच्चों को शिक्षित बनाए. आम तौर पर उन्हें सरकार की और से बच्चों की शिक्षा के लिए किये

जाने वाले प्रावधानों की जानकारी भी नहीं होती हैं. अतः इस बात की पड़ताल करना आवश्यक प्रतीत होता है कि कैदी महिलाओं का अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूकता का स्तर क्या है?

कैदी महिलाओं व उनके बच्चों की शिक्षा एवं सरकारी व गैर-सरकारी प्रयत्न

क़ैदी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं – जैसे बाल विकास योजना, बाल संरक्षण एवं विकास योजना तथा महिला सशक्तिकरण योजना आदि, के अंतर्गत नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसके अतिरिक्त सरकार गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस हेतु आर्थिक अनुदान देती है. महाराष्ट्र राज्य के विशेष संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 से 'बाल संगोपन योजना' चलाई जा रही है जिसमें अन्य बच्चों के कल्याण के अतिरिक्त कैदी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है. अगर इन बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं होता है तो इन्हें बिना शुल्क आश्रमशालाओं में रहने और पढ़ने की सुविधा दी जाती हैं . तथापि विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त परिणाम यह बताते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर इन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि बहुत अच्छी नहीं हो पाती. **भण्डारी (2015),** ने अपने अध्ययन सोशियो –लीगल स्टेटस ऑफ वुमन प्रिजनर्स एंड देयर डीपेंडेंट चिल्ड्रेन : ए स्टडी ऑफ सेंट्रल जेल ऑफ राजस्थान में निष्कर्ष के रूप में पाया कि महिला अपराधियों और उनके बच्चों की समस्याओं को देखते हुए उनको परिवार का दौरा , कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसी कुछ शर्तो को विशेष रूप मे ध्यान मे रख कर जेल मैनुअल में आवश्यक सुधार करते हुए इन्हें भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष क़ानूनों का भी प्रावधान करना चाहिए. शोधकर्ता नें कैदी महिलाओं के बच्चों के शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्न सुझाव दिये:

1. जेल में कैदी महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए ताकि वह शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके और साथ ही अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके.
2. सरकार द्वारा कैदी महिलाओं के बच्चों के लिए छात्रावास बनाने चाहिए, जिसमें वह पढ़ें और निवास कर सकें.
3. महिलाओं को जब जेल में भेजा जाता है तो उसी समय इन बच्चों की जिम्मेवारी लेने वाला अगर कोई रिश्तेदार न हो तो सरकार को उसी वक़्त इन बच्चों के रहने और पढ़ाई का प्रबंध तुरंत हो ऐसा कानून बनाना चाहिए.
4. कैदी महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों के लिए विशेष पौष्टिक आहार का प्रबंध हो ऐसा कानून होना चाहिए ताकि उन बच्चों का विकास अच्छी तरह हो.
5. इन बच्चों के जेल में ही क्रेच या पालनघर होने चाहिए और उनकी तरफ ध्यान देने के लिए एक आया भी नियुक्त की जानी चाहिए ताकि इन बच्चों के साथ कोई हादसा न हो और इन्हे खेल-खेल में प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त हो सके.
6. विद्यालयों में शिक्षकों को इन बच्चों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन बच्चों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है. इसलिए इन्हे ज्यादा प्यार और आदर देना चाहिए.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

7. सरकार द्वारा इन बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इन्हे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद की जानी चाहिए.
8. इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, साथ ही इनका सम्पूर्ण विकास हो इसके लिए कार्य करना चाहिए.
9. इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा जो आर्थिक मदद दी जाती है वह उन तक पहुच रही है या नहीं इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए.
10. इन बच्चों के लिए जिला स्तर पर एक समिति तो होती है परंतु इस समिति के सदस्य प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिन्हे इन बच्चों से कोई सरोकार नहीं होता है और प्रायः ये सदस्य जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं. इसलिए इस समिति में वही सदस्य होने चाहिए जो सचमुच इन लोगों के लिए समाजकार्य कर रहे हैं.

निष्कर्ष

स्वातंत्र्योत्तर भारत अपने नागरिकों के हित में, अपनी भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकानेक प्रयत्न कर रहा है. समाज के विभिन्न तबके के समुचित विकास की विविध शैक्षिक आर्थिक योजनाओं के साथ बहुलतायुक्त समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है. ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिये पर पड़े हुए उन बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए, जिनकी माताएं विभिन्न कारणों से कैद में हैं, उनकी शिक्षा के संबंध में तथ्यपरक जानकारी एकत्रित की जाए. उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यावहारिक आकलन करते हुए यथोचित नीतियाँ बनायी जाए जिससे कि उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके एवं उन बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए उन्हें नयी दिशा दी जाए. जब हम कहते है कि सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं , तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उन्हें देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करे.

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अब्बास और मंजूर (2015), सोशियो-इकोनोमिक फेक्टर ऑफ़ वुमेन्स इन्वोंवेमेंट इन क्राइम इन पंजाब, पाकिस्तान . एकेडमिक रेसर्च इन्टरनेशनल ,6 (2), 442

आहूजा ,राम.(2015). सामाजिक सामस्याए . (द्वितीय संस्करण).जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स

भण्डारी (2015), सोशियों–लीगल स्टेटस ऑफ वुमन प्रिजनर्स एंड देयर डीपेंडेंट चिल्ड्रेन : ए स्टडी ऑफ सेंट्रल जेल ऑफ राजस्थान. सोशियोलॉजी अँड क्रिमिनोलॉजी-ओपेन एक्सैस

सिंह ,अरुण कुमार .(2015). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ.(बारहवाँ संस्करण). दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन

ठाकुर, गोपाल कृष्ण. (2014). डायमेंशन ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया एंड एजुकेशन एज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वीमेन एम्पावरमेंट. एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडीसिसिप्लिनरी स्टडीज़ (ISSN: 2321-8819), 2(10), 153-157

कुरी (2013). नें वुमन इन प्रिज़न : ए फोर्गोटन पापुलेशन. इंटरनेट जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 1-30

दास, एस. (2013). वुमन प्रिज़नर्स इन ओड़ीसा : ए सोशिओ-कल्चरल स्टडी (डोकटोरल डेजर्टेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेच्नोलॉजी राउरकेला)

स्वर्गाइरी (2012), द फ़ीमेल ऑफ़ेंडर्स अँड देयर इंटरपर्सनल रिलेशन्स इन द फॅमिली

विप्लव .(2012). भारत में महिला मानवाधिकार .(प्रथम संस्करण). मेरठ: राहुल पाब्लिकेशन

वशिष्ठ, सरिता .(2010).महिला और कानून .(प्रथम संस्करण). दिल्ली: कल्पना प्रकाशन

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सिह, निशान्त.(2008).भारत मे अपराध.(प्रथम संस्करण).दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन्स

पाण्डेय , गणेश .(2008).अपराध शास्त्र .(प्रथम संस्करण). दिल्ली : राधा पब्लिकेशन्स

किंगी (2000). द चिल्ड्रेन ऑफ़ वुमेन इन प्रिज़न : ए न्यूज़ीलैंड स्टडी. इन वुमेन इन करेक्शन्स, स्टाफ अँड क्लाएंट्स कोन्फ़रंस (वॉल्यूम. 31)

बेदी , किरण .(1999). यह संभव है .(प्रथम संस्करण). दिल्ली : वाणी ओरकशन

कोविंगटन, एस. एस. (1998). विमेन्स इन प्रिज़न : अप्प्रोचेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ अवर मोस्ट इन्विजिबल पापुलेशन. विमेन अँड थेरपी, 21(1), 141-155

बुच, सी. (1990), विमेन्स राइट्स एज़ ह्यूमन राइट्स : टुवर्ड्स ए री-विजन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स कौरटरली, 12(4), 486-498

http://www.indiaonlinepages.com/population/india-current-population.html (दिनांक 29.10.17 को प्राप्त आंकड़े)